न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 06 / 25

दायरा दिनांक 24.12.2025

1. रघुवीर पुत्र ज्ञानीचन्द उम्र 62 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2. कैलाश पुत्र ज्ञानीचन्द उम्र 54 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3. तुलसीराम पुत्र ज्ञानीचन्द उम्र 51 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
4. कसूमल पुत्री ज्ञानीचन्द पत्नि मानसिंह उम्र 60 वर्ष जाति किराड हाल निवासी नारायणखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
5. जानकीबाई पुत्री ज्ञानीचन्द पत्नि रमेशचन्द उम्र 56 वर्ष जाति किराड हाल निवासी रातईखुर्द तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
6. चिन्जोबाई पत्नि स्व. ज्ञानीचन्द पत्नि मानसिंह उम्र 80 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

अपीलान्टस

बनाम

1. विनोद पुत्र राजू उर्फ शिवनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2. ललित पुत्र राजू उर्फ शिवनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3. बृजमोहन पुत्र राजू उर्फ शिवनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
4. सुशीला पत्नि स्व0 राजू उर्फ शिवनन्दन जाति ब्राह्मण निवासी शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
5. अशोककुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद हाल निवासी फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
6. हेमन्त पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद हाल निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
7. केशव पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद हाल निवासी फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
8. राजेन्द्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद हाल निवासी फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
9. सत्यनारायण पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी हाल फरेदुवा उपरेटी सरकारी अस्पताल के पास समरानिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
10. जीतेन्द्र पुत्र कमलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

11. सूरजप्रताप पुत्र कमलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
12. कौशल्या पुत्री कमलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
13. प्रीती पुत्री कमलकिशोर पत्नि यशवन्त जाति ब्राह्मण निवासी हाल शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
14. मिथलेश पत्नि कमलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
15. कल्ला पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान फोत

    15/1–गया पुत्री कल्ला पत्नि जयलाल जाति किराड निवासी हाल सिरसौदकलां तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

    15/2–कूंगर पुत्री कल्ला पत्नि सूरज जाति किराड निवासी पीपलखेडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

    15/3–अशर्फी पुत्री कल्ला पत्नि जानकीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

    15/4–रामकली पुत्री कल्ला पत्नि रामकिशन जाति किराड निवासी बरबन तहसील बमौरी जिला गुना म0प्र0
16. हजारी पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
17. हरिचरण पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
18. मुन्ना पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान फौत

    18/1–रवि पुत्र मुन्ना जाति किराड निवासी हाल समरानियां तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

    18/2–रानी पुत्री मुन्ना पत्नि प्रधुम्न जाति किराड निवासी हाल बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

    18/3–मालती पत्नि मुन्ना जाति किराड निवासी हाल समरानियां तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
19. विधा पुत्री सुन्दरलाल पत्नि शिवलाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
20. बाला पुत्री सुन्दरलाल पत्नि प्रकाश जाति किराड निवासी ढिकवानी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
21. सन्तो पुत्री सुन्दरलाल पत्नि रामस्वरूप जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

22. भागवती पत्नि सुन्दरलाल पत्नि जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 फौत

23. श्रीलाल पुत्र रतनलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 फौत

23/1–कैलाश पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

23/2–धनराज पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

23/3–विजयसिंह पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

23/4–मालती पुत्री श्रीलाल पत्नि स्व0 जगदीश जाति किराड निवासी हाल मुंगावली तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

23/5–पिस्ता पत्नि श्रीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

24. बुद्विप्रकाश पुत्र दयाचन्द जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

25. मान्या पुत्र दयाचन्द जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

26. हजारी पुत्र दयाचन्द जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

27. जानकी पुत्री दयाचन्द पत्नि कन्हैयालाल जाति किराड निवासी किराडपहाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

28. गुलाबी पुत्री दयाचन्द पत्नि कन्हैयालाल जाति किराड निवासी हाल पहाडीजागीर तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

29. सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डियर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

30. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध फौती नामा0 नंबर 62 दिनांक 12.06.1973 ग्राम शाहपुर पटवार हल्का मुण्डियर तहसील शाहाबाद आदेश अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डियर तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय दिनांक 25.03.2026

उपस्थित–
अपीलाण्टस की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
रेस्पो0 की ओर से – अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही दि0 16.03.2026

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

1. अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम शाहपुर पटवार क्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहाबाद में आराजी ख0नं0 307 रकबा 25.18 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो भूप्रबन्ध (सेटलमेन्ट) जमाबंदी सम्बत 2020–39 के खाता संख्या 91 में मूल रूप से छुट्टीलाल वल्द सुन्दरलाल ब्राह्मण, देवीलाल वल्द जगन्नाथ, श्रीलाल वल्द रतनलाल, दयाचन्द किशन वल्द मनीराम कोम किराड साकिन कलोनी हिस्सा बराबर से दर्ज रही है। इस प्रकार उक्त आराजी में मूलखातेदार देवीलाल वल्द जगन्नाथ किराड का हिस्सा 1/4 दर्ज रहा है। मूलखातेदार देवीलाल की मृत्यु के बाद दर्ज प्रश्नगत फोती नामा0 नंबर 62 दिनांक 12.06.1973 से देवीलाल की विरासत पुत्र कल्ला व सुन्दरलाल के नाम दर्ज की गई है जबकि ततसमय देवीलाल का एक पुत्र ज्ञानी भी मौजूद था जिसका नाम भी कल्ला व सुन्दरलाल के साथ प्रश्नगत नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बाद में सुन्दरलाल के स्थान पर सुन्दरलाल के वारिसान रेस्पो0 क्रम 16 लगायत 22 का नाम दर्ज कर दिया गया है जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। कल्ला वल्द देवीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसान पुत्रियां 15/1 लगायत 15/4 हैं, जिन्हे मृतक खातेदार कल्ला के स्थान पर पक्षकार बनाया जाकर अपील पेश हैं। मूलखातेदार देवीलाल वल्द जगन्नाथ किराड का ज्ञानी सगा पुत्र है, जिसका नाम ग्राम मुण्डियर तहसील शाहाबाद स्थित आराजी ख0नं0 282 रकबा 14.18 बीघा में देवीलाल की विरासत में दर्ज है। ज्ञानी पुत्र देवीलाल की दिनांक 02.05.2024 को मृत्यु हो चुकी है, मृतक ज्ञानी के अपीलाण्टस पुत्र/पुत्री/पत्नि होकर विधिक वारिसान उत्तराधिकारी हैं जो मूल खातेदार देवीलाल वल्द जगन्नाथ की विरासत हिस्सा 1/4 में कल्ला तथा सुन्दरलाल के साथ हिस्सा बराबर से अर्थात हिस्सा 1/12 से हक निहित रखते हैं, जिनकी ओर से अपील पेश है। रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 14 व 23 लगायत 28 सहखातेदार होने से अपील में फार्मल पक्षकार संयोजित हैं, जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। रेस्पो0 क्रम 18 मुन्ना की मृत्यु हो चुकी है, जिसके स्थान पर रेस्पो0 क्रम 18/1 लगायत 18/3 पुत्र/पुत्री/पत्नि होकर विधिक वारिसान उत्तरांधिकारी होने से पक्षकार बनाया गया है। रेस्पो0 क्रम 22 भागवती भी फोत हो चुकी हैं, जिनके विधिक वारिसान पुत्र/पुत्री रेस्पो0 क्रम 16 लगायत 21 हैं, जो पक्षकार संयोजित हैं। रेस्पो0 क्रम 23 श्रीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके स्थान पर रेस्पो0 क्रम 23/1 लगायत 23/5 पुत्र/पुत्री/पत्नि होकर विधिक वारिसान उत्तराधिकारी होने से पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 15.12.2025 को हल्का पटवारी से के0सी0सी0 बनबाने हेतु ख0नं0 307 ग्राम शाहपुर की नकल जमाबंदी बनाने को कहा तब हल्का पटवारी ने बताया कि देवीलाल की विरासत में अपीलाण्टस के पिता ज्ञानी का नाम दर्ज नहीं है। ज्यों ही अपीलाण्टस को जानकारी हुई कि तहसील कार्यालय में जाकर पुराना रिकार्ड प्राप्त किया और हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामा0 की नकल दिनांक 16.12.2025 को प्राप्त कर जानकारी तिथी दिनांक 15.12.2025 से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की विलंब जानकारी के अभाव में माफ किये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम मय शपथपत्र शामिल संलग्न है। अपील का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य वजुहात वक्त बहस मौखिक अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर मृत खातेदार देवीलाल वल्द जगन्नाथ किराड निवासी कलोनी की विरासत बाबत तस्दीक प्रश्नगत फोती नामान्तरण नंबर 62 दिनांक 12.06.1973 ग्राम शाहपुर तहसील शाहाबाद को निरस्त फरमाया जावे तथा मृत खातेदार देवीलाल वल्द जगन्नाथ किराड हिस्सा 1/4 के स्थान पर अपीलान्टस के नाम हिस्सा 1/12, रेस्पो0 कम 15 के फोत हो जाने से रेस्पो0 कम 15 के स्थान पर रेस्पो0 कम 15/1 ता 15/4 के नाम हिस्सा 1/12 तथा रेस्पो0 कम 16 लगायत 21 के नाम हिस्सा 1/12 से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के सादर आदेश रेस्पो. कम 30 को पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 के विरूद्व सूचना होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 16.03.2026 को एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किये गये।

3. अपीलाण्टस वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्टस का अभिवचन है कि ग्राम शाहपुर तहसील शाहाबाद की आराजी ख0नं0 307 रकबा 25.18 बीघा भूप्रबन्ध (सेटलमेन्ट) जमाबंदी सम्बत 2020–39 के खाता संख्या 91 अनुसार मूल रूप से छुट्टीलाल वल्द सुन्दरलाल ब्राह्मण, देवीलाल वल्द जगन्नाथ, श्रीलाल वल्द रतनलाल, दयाचन्द किशन वल्द मनीराम कोम किराड साकिन कलोनी हिस्सा बराबर से दर्ज रही है। इस प्रकार उक्त आराजी में मूलखातेदार देवीलाल वल्द जगन्नाथ किराड का हिस्सा 1/4 दर्ज रहा है। देवीलाल की मृत्यु के बाद दर्ज प्रश्नगत फोती नामा0 नंबर 62 दिनांक 12.06.1973 से देवीलाल की विरासत पुत्र कल्ला व सुन्दरलाल के नाम दर्ज की गई है जबकि ततसमय देवीलाल का एक पुत्र ज्ञानी भी मौजूद था जिसका नाम भी कल्ला व सुन्दरलाल के साथ प्रश्नगत नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया है। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. अपीलाण्टस के अभिवचन की रूह में संलग्न पत्रावली रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि भूप्रबन्ध सेटलमेंट जमाबंदी ग्राम शाहपुर तहसील शाहाबाद संवत 2020–39 खाता संख्या 91 में आराजी ख0नं0 307 रकबा 25.18 बीघा छुट्टीलाल वल्द सुन्दरलाल ब्राह्मण, देवीलाल वल्द जगन्नाथ, श्रीलाल वल्द रतनलाल, दयाचन्द किशन वल्द मनीराम कोम किराड साकिन कलोनी के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज रही है। दर्ज खातेदारान में से देवीलाल वल्द जगन्नाथ की विरासत प्रश्नगत नामा0 कमांक 62 से देवीलाल के पुत्र कल्ला व सुन्दरलाल के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज की गई है। अपीलाण्टस के अभिवचन अनुसार देवीलाल का एक अन्य पुत्र ज्ञानी भी मौजूद रहा है, प्रमाण में अपीलाण्टस की ओर से ग्राम मुण्डियर तहसील शाहाबाद के खाता

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

संख्या 62 संवत 2057—60 की नकल जमाबंदी पेश की गई है, जिसमें देवीलाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर पुत्र कल्ला ज्ञानी व मृतक पुत्र सुन्दरलाल के वारिसान के नाम दर्ज किये गये है, जिससे ज्ञानी का खातेदार देवीलाल का पुत्र होना प्रमाणित होता है।

5. अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर दिनांक 12.06.1973 को तस्दीक किये गये नामा0 कमांक 62 ग्राम शाहपुर को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार शाहाबाद को निर्देश दिये जाते हैं कि मृत खातेदार देवीलाल पुत्र जगन्नाथ किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद के वारिसान की जांच कर सही वारिसान के नाम पुनः विरासत नामा0 दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.03. 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालना हेतु तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद